श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : सभापति जी, मैं दो मिनट आपका चाहता हूं। यह एक प्रोप्राइटी का सवाल है। कल एक विदेशी महमान का हमने सैन्ट्राल हाल में स्वागत किया। यद्यपि वह सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सैक्रेटरी हैं फिर भी हमने उन्हें एक हैड आफ दी स्टेट का दर्जा दिया। हम ने उन्हें बड़ी इज्जत दी। मुझे यह देख कर बड़ा दुख हुआ कि सैन्ट्रल हाल में बैठने का जो इंतजाम किया गया था उस में इस सदन के एक सदस्य डा० शंकर दयाल शर्मा को पहली रो में बैठने के लिए कहा गया। डा० शंकर दयाल शर्मा रूलिंग पार्टी के प्रेसीडेन्ट हैं। हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में उनका कोई दर्जा नहीं है। वहां ए० पी० शर्मा भी बैठे थे, वह डिप्टी लिडर हैं, मैं समझ सकता हूं श्री हाथी भी बैठे थे, उन की बात भी मेरी समझ में आती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रसीडेन्ट को सैन्ट्रल हाल में होने वाले किसी भी समारोह में पहली रो में कैसे बैठाया जा सकता है? मैं समझता हूं जो कुछ कल हुआ वह ठीक नहीं हुआ था और आप हमारी भावनायें स्पीकर साहब तक पहुंचा दें।

DR. HENRY AUSTIN (Ernakulam): Sir, I always respect the views of Shri Vajpayee. Yesterday I had noticed that the leaders of the opposition parties were given seats on the front row. Dr. Shankar Dayal Sharma is the leader of the ruling party.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Not in Parliament.

DR. HENRY AUSTIN: Mr. Breznnev is the leader of the ruling party there. Dr. Shankar Dayal Sharma is the leader of the ruling party here, and naturally he should be given a seat along with other party leaders. If he was not given a seat in the front row, what would Mr. Brezhnev think? Would he not think that the leader of the ruling party here has not been given a seat in the front row? I am sorry Mr. Vajpayee should have raised this point here.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, माफ कीजिए, देखिए इन्होंने बहस शुरू कर दी। डा० शंकर दयाल शर्मा पार्लियामैन्ट में कांग्रेस पार्टी के लीडर नहीं है। बाहर वह कांग्रेस पार्टी के लिडर हैं। अगर वह पार्लियामैन्ट में कांग्रेस पार्टी के लीडर होते तो प्रइम मिनिस्टर होते।

MR. CHAIRMAN: The House will now adjourn and re-assemble at 3 P.M.

13.53 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fifteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at two Minutes past Fifteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will now take up Private Members' Business. Shri Madhu Limaye to introduce his Bill.

15.02 hrs.

UNTOUCHABILITY (OFFENCES) AMENDMENT BILL*

[AMENDMENT OF SECTIONS 2, 9 ETC.]

श्री मधु लिमये (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति चाहता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Untouchability (Offences) Act,1955".

The motion was adopted.

श्री मधु लिमये : मैं विधेयक पेश करता हूं।

---

*Published in Gazette of India Extra ordinary, Part II, section 2, dated 30.11.73